कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक – 11 दिनांक – 11.03.2025

–: संशोधित कार्यालय आदेश :–

मैं, **सुरेन्द्र चौधरी,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर एतद्द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक–Gen./XIX/Misc./2000/911/718, Dated-01.06.2001 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–10 दिनांक–01.03.2025 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए **दिनांक 13.03.2025, 14.03.2025, 22.03.2025 व 23.03.2025** को पूर्व में आवश्यक कार्य हेतु मुख्यालय पर रहने हेतु अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारीगण की ड्यूटी में निम्नानुसार परिवर्तन कर निम्नलिखित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को आवश्यक कार्य हेतु मुख्यालय पर रहने हेतु अधिकृत करता हूँ, अन्य दिनांक के लिये पूर्ववर्ती आदेश प्रभावी रहेगा –

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय
01.	13.03.2025	श्रीमती रेखा रानी	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 06 जोधपुर महानगर, जोधपुर।
02.	14.03.2025		
03.	22.03.2025	श्रीमती ज्योत्सना मीणा	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), जोधपुर महानगर, जोधपुर।
04.	23.03.2025		

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किए गए रिमाण्ड मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारण्ट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुलज़िम को पेश किया जाना है।

नोट – (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उन्हीं अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को पीठासीन अधिकारी के निवास स्थान पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है, तो उनके स्थान पर आने वाले उत्तरवर्ती पीठासीन अधिकारी, न्यायालय रिक्त रहने पर अतिरिक्त प्रभार वाले पीठासीन अधिकारी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।

11/3/25

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर महानगर जोधपुर

क्रमांक – 11 दिनांक – 11.03.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. श्रीमान् ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
02. स्थापना शाखा, ज़िला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
03. पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर।
04. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर।
05. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन, जोधपुर।
06. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसियेशन, जोधपुर।
07. उपनिदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर।
08. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कण्ट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
09. नोटिस बोर्ड, ज़िला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
10. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, ज़िला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
11. सिस्टम ऑफिसर, ज़िला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
12. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट प्रकरण), जोधपुर महानगर, जोधपुर।
13. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 06, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
14. कार्यालय प्रति।

11/3/25

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर महानगर जोधपुर